

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-ई32/स्वा0/स्वा0निरी0/(1036)/2018/

दिनांक:-

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ-(7)एफ.डी/नियम/2008 दिनांक 12.09.08 एवं एफ. 14(1)एफ.डी (नियम)/2013-11 दिनांक 28.06.2013 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए श्री विजय कान्त गौतम, स्वास्थ्य निरीक्षक को 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर ए.सी.पी. स्वीकृत की जाती है।

क्र. सं.	नाम कर्मचारी	पदस्थापन स्थान	संवर्ग में प्रथम नियुक्ति तिथि	वर्णित तिथि को सेवा पूर्ण	एसीपी देय तिथि	देय पे ब्रेण्ड/ चय. वेतनमान	देय ग्रेड पे
1.	श्री विजय कान्त गौतम, स्वा. निरी.	जोधपुर	27.02.1987	27.02. 2014 (27वर्ष)	01.06.17	9300-34800	4800

नोट:- कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत संतान संबंधी शपथ पत्र अनुसार कार्मिक के दिनांक 01.06.2002 के पश्चात तीसरी संतान होने के कारण वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.14(88)/एफडी/रूल्स/2008-1 दिनांक 01.06.2017 के अनुसार इन्हे ए.सी.पी. का लाभ दिनांक 01.06.2017 से देय होगा।

sl
(राकेश शर्मा)
अति० निदेशक (प्रशा०)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:-ई32/स्वा0/स्वा0निरी0/(1036)/2018/166

दिनांक:-4/4/2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जौन, जोधपुर को उनके के पत्र क्रमांक:- 268-69 दिनांक 22.01.2018 के क्रम में।
- संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- प्रभारी, सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे।
- आदेश पत्रावली।

sl
अति० निदेशक (प्रशा०)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर।